(47)

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर - 201301

पत्र संख्याः नौएडा/औद्योगिक/2016/ 1930
दिनाँकः- 21/06/2016

कार्यालय आदेश

नौएडा प्राधिकरण में औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में वर्तमान प्रचलित नीति में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित हैः-

1. 2000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन ड्रा के माध्यम से किया जाता है, जिसमें 50% भूखण्ड सामान्य श्रेणी एवं 50% भूखण्ड आरक्षित श्रेणी हेतु आरक्षित होते है। अधिकृत बैंकों से आवेदन पत्रों का क्रय किया जाना एवं उन्हीं बैंकों में आवेदन पत्र जमा किये जाते है। बैंकों से प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण नोएडा प्राधिकरण में गठित समिति द्वारा किया जाता है। समिति द्वारा संलग्न दस्तावेजों जैसेः- प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आरक्षित भूखण्डों के कार्यशील प्रमाण पत्र, वित्तीय श्रोतों आदि का परीक्षण किया जाता है। परीक्षणोपरान्त उन आवेदन पत्रों जिनमें परीक्षण समिति द्वारा आपत्तियाँ पायी जाती है, ऐसे आवेदकों की सूची नौएडा प्राधिकरण की वेबसाईट www.noidaauthorityonline.com एवं नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाती है, जिसमें निर्धारित अवधि में आपत्तियों के निस्तारण हेतु समय दिया जाता है। समयसीमा समाप्त होने पर पूर्णतया अर्ह आवेदकों की सूची तैयार कर योजना में उपलब्ध भूखण्डों का आवंटन ड्रा के माध्यम से किया जाता है, जिसकी सार्वजनिक सूचना दो दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। ड्रा में सफल आवेदकों की सूची नौएडा प्राधिकरण की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित कर दी जाती है।

2. 2000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन प्रतिष्ठित दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना जारी कर आवेदन प्राप्त किये जाते है। अधिकृत बैंकों से आवेदन पत्रों का क्रय किया जाना एवं उन्हीं बैंकों में आवेदन पत्र जमा किये जाते है। बैंकों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण यूपीको द्वारा किया जाता है। तदोपरान्त आवेदनकर्ता को साक्षात्कार के लिये स्क्रिनिंग कमेटी के समक्ष बुलाया जाता है। उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में स्क्रिनिंग कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें मुख्य विधि सलाहकार, वित्त नियन्त्रक, मुख्य वास्तुविद नियोजक, महाप्रबन्धक/उपायुक्त (जिला उद्योग केन्द्र), प्रभारी (औ0), क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड सदस्य है। साक्षात्कार के उपरान्त स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा प्रस्तावित परियोजना की कुल निवेश एवं तत्क्रम में वित्तीय श्रोतों की उपलब्धता, प्रस्तावित उत्पाद हेतु भूखण्ड के क्षेत्रफल की आवश्यकता, रोजगार का सृजन, प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में आवेदक के अनुभव एवं परियोजना क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना के मापदण्डों तथा नौएडा के सतत विकास में सन्दर्भित परियोजना के महत्व के दृष्टिगत निर्धारित की गयी वरीयता के आधार पर भूखण्ड आवंटन हेतु आवंटन समिति की संस्तुति एवं तत्क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त किया जाता है।

उपरोक्त दोनों श्रेणी के भूखण्डों का आवंटन लगभग 60 दिनों में पूर्ण किया जाये।

(रमा रमण)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी